शव को विमान से ले जाने के लिये मानक प्रचालन कार्यविधि

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

उत्तराखण्ड में स्थित धार्मिक व पर्यटन स्थल देश–दुनिया से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं, आपदाओं व स्वास्थ्य सम्बन्धित परेशानियों के कारण कभी कभार यहॉ आने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो जाती है।

मृतक के परिजन प्रायः शव को अन्तिम संस्कार के लिये अपने गृह नगर ले जाना चाहते हैं। परन्तु शव को विमान से ले जाने के लिये कई औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी है।

निम्नलिखित जॉच सूची विमान से शव ले जाना सुगम बनायेगी तथा साथ ही इससे मृतक के परिजनों को भी अपेक्षाकृत कम असुविधा होगीः

1. मृतक के परिजनों से सम्पर्क कर सुनिश्चित करें कि शव के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति के पास मृतक से सम्बन्धित यह अभिलेख हैंः–
   - (अ) पंचनामा आख्या
   - (आ) शव परीक्षा आख्या
   - (इ) मृत्यु प्रमाण पत्र
   - (ई) पत्र व्यवहार का पता
   - (उ) फोटोयुक्त पहचान पत्र

2. शव को विमान से ले जाने के लिये उसका संलेपन (embalming) किया जाना आवश्यक है। यह शव को खराब होने से रोकने के लिये की जाने वाली औषधीय प्रक्रिया है

3. विमानपत्तन (Airport) के नजदीक स्थित ऐसे चिकित्सालयों को चिन्हित करें जो संलेपन सुविधा प्रदान करते हैं। इन चिकित्सालयों में इस कार्य के लिये नोडल अधिकारी नामित करवायें

4. देहरादून में संलेपन की सुविधा जौली ग्रान्ट विमानपत्तन के समीप स्थित हिमालयन हास्पिटल में उपलब्ध है

5. संलेपन के लिये चिकित्सालय में इस कार्य हेतु नामित अधिकारी को पहले से सूचित किया जाना चाहिये

6. विमानपत्तन प्राधिकारियों के साथ समन्वय के साथ–साथ शव को विमान से ले जाने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें करने के लिये विमानपत्तन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपजिलाधिकारी को औपचारिक रूप से नामित किया जाना चाहिये

7. देहरादून स्थित जौली ग्रान्ट विमानपत्तन से शवों को भेजने के लिये आवश्यक समन्वयन उपजिलाधिकारी, डोईवाला द्वारा किया जाता है

8. शवों को विभाग से भेजे जाने हेतु आवश्यक समन्वयन के लिये भारतीय विमानपन्तन प्राधिकरण से इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित करने के लिये अनुरोध किया जाना चाहिये

9. संलेपन के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालय के नोडल अधिकारी द्वारा शव को सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को सौपा जायेगा

10. शव को सम्बन्धितों को सौपे जाने से पहले उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके पास सम्बन्धित जिलाधिकारी या अन्य के द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र (Authority letter) है

11. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा शव को ले जा रहे व्यक्ति का दूरभाष/मोबाइल नम्बर व पता लिया जाना चाहिये तथा उक्त की

जानकारी सम्बन्धित जनपद व राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रेषित की जानी चाहिये

12. शव को विमान में चढ़ाने से पहले सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शव से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख पूर्णतः तैयार होः—

(अ) पंचनामा आख्या

(आ) शव परीक्षा आख्या

(इ) मृत्यु प्रमाण पत्र

(ई) शव पेटी तैयार करने वाले व्यक्ति से इस आशय का प्रमाण पत्र कि शव पेटी दीमक व रिसाव से मुक्त है

(उ) संलेपन प्रमाण पत्र

(ऊ) फोटोयुक्त पहचान पत्र

(ए) पुलिस का अनापत्ति प्रमाण—पत्र जिसमें शव पेटी में केवल शव होने तथा विस्फोटक/खतरनाक पदार्थ न होने का स्पष्ट उल्लेख हो

13. सम्बन्धित उड्डयन कम्पनी द्वारा शव को विमान के प्रस्थान के समय से 02 घण्टे पहले ही स्वीकार किया जाता है

----------**********----------